प्रेसनोट, दिनांक 21.03.2026

थाना अजगैन, जनपद उन्नाव

हत्या का खुलासा: पत्नी सहित 03 अभियुक्त गिरफ्तार, पत्नी ने सुपारी देकर कराई पति की हत्या

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद उन्नाव के कुशल निर्देशन अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी व क्षेत्राधिकारी हसनगंज के कुशल पर्यवेक्षण में अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना अजगैन पुलिस एवं सर्विलांस की संयुक्त टीम द्वारा दिनांक 19.03.2026 को थाना अजगैन के ग्राम चमरौली में व्यक्ति की हत्या की घटना का खुलासा करते हुए मृतक की पत्नी व उसके दो सहयोगियों को गिरफ्तार किया गया।

संक्षिप्त विवरण – दिनांक 19.03.2026 को यू0पी0 112 के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई कि एक अज्ञात शव राजेश यादव निवासी चमरौली थाना अजगैन जनपद उन्नाव के खेत में पड़ा हुआ है। प्राप्त सूचना के आधार पर मौके पर पहुँचकर शव को देखा गया तो मृतक का दोनों हाथ पीछे बंधा था घटनास्थल को एलोटेप के माध्यम से सुरक्षित किया गया व मौके पर फील्ड यूनिट को बुलाया गया फील्ड यूनिट द्वारा सभी साक्ष्यों को एकत्र कर शव को कब्जा पुलिस में लेकर शव का शिनाख्त कराया गया तो मृतक का नाम श्रीकान्त लोध उर्फ जंगली पुत्र स्व0 गंगाराम निवासी थान खेडा मजरा चमरौली थाना अजगैन जनपद उन्नाव उम्र करीब 35 वर्ष पाया गया। जिसके संबन्ध में सुन्दारा पत्नी स्व0 गंगाराम लोध निवासी चमरौली थान खेड़ा थाना अजगैन जनपद उन्नाव से प्राप्त लिखित तहरीर के आधार पर थाना अजगैन पर मु0अ0सं0 125/2026 धारा 103(1) BNS बनाम बाइस्तवा अभियुक्त 1-सुखरानी पत्नी स्व0 श्रीकान्त निवासी चमरौली थाना अजगैन जनपद उन्नाव 2-सुखरानी के अन्य साथी के पंजीकृत किया गया।थाना अजगैन पुलिस द्वारा सर्विलांस टीम के माध्यम से प्राप्त सीडीआर के आधार पर साक्ष्य संकलन व गवाहों से पूछताछ तथा घटनास्थल के निरीक्षण के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 238 BNS की बढ़ोत्तरी करते हुए विवेचना में अभियुक्ता सुखरानी पत्नी स्व0 श्रीकान्त निवासी थानखेड़ा मजरा चमरौली थाना अजगैन जनपद उन्नाव व अंकित यादव पुत्र उदयराज यादव निवासी चितौली मजरा वीरसिंहपुर थाना मांखी जनपद उन्नाव व मोहित सिंह पुत्र गुलाब सिंह निवासी सधीरा थाना अजगैन जनपद उन्नाव का नाम प्रकाश में आया । उपरोक्त अभियुक्तों की पतारसी सुरागरसी करते हुए आज दिनांक

21.03.2026 को थाना अजगैन पुलिस द्वारा तीनों अभियुक्तगण को चमरौली बाजार से दौलत खेडा के तरफ जाने वाली रोड के बीच में पडने वाले नहर पर से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्ता सुखरानी के कब्जे से एक अदद मोबाइल सैमसंग बरामद हुआ तथा अभियुक्त अंकित यादव के कब्जे से एक अदद मोबाइल वीवो व 5250 रुपये बरामद हुआ जो हत्या करने के बाद 20 हजार रुपये मिले थे खर्च के बाद बचा शेष रुपया है तथा मोहित सिंह के कब्जे से एक अदद मोबाइल रीयलमी व 5700 रुपये बरामद हुआ जो हत्या करने के बाद 20 हजार रुपये मिले थे खर्च के बाद बचा शेष रुपया है । तीनों अभियुक्तगणों के द्वारा एक राय होकर अभियुक्ता के पति श्रीकान्त उर्फ जंगली की हत्या की गई है इस कारण मुकदमें में धारा 3(5) BNS की बढोत्तरी की गयी है।

पूछताछ का विवरण- अभियुक्ता सुखरानी से पूँछताछ की गयी तो अभियुक्ता द्वारा बताया गया कि मैं अपने पति से परेशान थी जिसका सम्बन्ध किसी दूसरी महिला से था जो आये दिन शराब के नशे में मेरे साथ व मेरे बच्चों के साथ मारपीट करता था, जिससे तंग आकर दिनाँक 17.3.2026 को अंकित यादव उपरोक्त व मोहित सिंह उपरोक्त को जरिये दूरभाष फोन करके मेरे द्वारा बतायी गयी कि मेरे पति को जान से मारना है जिसके लिये मैं दोनो लोगों को 40 हजार रुपये दूँगी। उसी दिन समय करीब 20.30 बजे रात्रि को मोहित सिंह व अंकित यादव उपरोक्त को चमरौली गांव में राजेश यादव के गेहूँ के खेत के पास बुलायी और मैं अपने पति श्रीकान्त उर्फ जंगली (मृतक) को वहाँ पर लेकर आयी। जहां पर मोहित सिंह व अंकित यादव ने मेरे सामने मेरे पति श्रीकान्त उर्फ जंगली (मृतक) का दोनों हाथ पीछे के तरफ करके कपडे से बाँध दिये उसके बाद अंकित यादव व मोहित सिंह मिलकर मेरे पति श्रीकान्त उर्फ जंगली (मृतक) की हत्या कर दी। उसके बाद मेरे पति के शव को राजेश यादव उपरोक्त के गेंहूँ के खेत में डालकर वहाँ से हम तीनों वापस आ गये तथा हत्या करने के बाद मेरे द्वारा मोहित सिंह व अंकित यादव को 40 हजार रुपये नगद जो पूर्व में सुपारी देने की बाद हुई थी मेरे द्वारा 40 हजार रुपये नगद दिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पताः-

1. सुखरानी पत्नी स्व0 श्रीकान्त उर्फ जंगली निवासी थान खेडा मजरा चमरौली थाना अजगैन जनपद उन्नाव उम्र करीब 35 वर्ष।

2. अंकित यादव पुत्र उदयराज यादव निवासी चितौली मजरा विरसिंहपुर थाना मांखी जनपद उन्नाव उम्र करीब 26 वर्ष ।

3. मोहित सिंह पुत्र गुलाब सिंह निवासी ग्राम सधीरा थाना अजगैन जनपद उन्नाव उम्र करीब 26 वर्ष।

बरामदगी-

अभियुक्ता सुखरानी के कब्जे से एक अदद मोबाइल सैमसंग बरामद हुआ तथा अभियुक्त अंकित यादव के कब्जे से एक अदद मोबाइल वीवो व 5250 रुपये बरामद हुआ तथा मोहित सिंह के कब्जे से एक अदद मोबाइल रीयलमी व 5700 रुपये बरामद हुआ।

आपराधिक इतिहास अभि0 अंकित यादव–

1. मु0अ0सं0 459/2025 धारा 115(2)/352/351(3) BNS थाना अजगैन जनपद उन्नाव।
2. मु0अ0सं0 125/2026 धारा 103(1)/238/3(5) BNS थाना अजगैन जनपद उन्नाव।

आपराधिक इतिहास अभियुक्ता सुखरानी–

1. मु0अ0सं0 125/2026 धारा 103(1)/238/3(5) BNS थाना अजगैन जनपद उन्नाव।

आपराधिक इतिहास अभि0 मोहित सिंह-

1. मु0अ0सं0 459/2025 धारा 115(2)/352/351(3) BNS थाना अजगैन जनपद उन्नाव।
2. मु0अ0सं0 125/2026 धारा 103(1)/238/3(5) BNS थाना अजगैन जनपद उन्नाव।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. प्र0नि0 सुरेश कुमार सिंह
2. वरि0 उ0नि0 मोर मुकुट पाण्डेय
3. उ0नि0 श्याम जी शर्मा
4. उ0नि0 दयाराम सिंह
5. का0 बलराम गोस्वामी
6. का0 रोहित कुमार सिंह
7. का0 रन्जीत कुमार
8. का0 राहुल यादव
9. का0 अंगद यादव
10. का0 भारत यादव
11. म0का0 कीर्ति रानी
12. चालक हे0का0 सूरजपाल

<u>सर्विलांस टीम</u>

1.हे0का0 सुदीप कटियार

2.हे0का0 शीतान्श गंगवार

3. का0 विवेक कुमार

4. का0 प्रशान्त बालियान

5. का0 आकाश चौधरी

6.का0 अरुण यादव